अध्यादेश क्रमांक – 133

विश्वविद्यालय के पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के लिए अध्यादेश

1. **पाठ्यक्रम व संकाय** : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 37 के तारतम्य में यह अध्यादेश बनाया गया है। यह अध्यादेश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विभागों/ विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों के एक वर्षीय ऐसे सभी पत्रोपाधि पाठ्यक्रम, जिनके लिए विश्वविद्यालय के अलग-अलग अध्यादेश नहीं हैं, उन सभी पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों के लिए लागू होगा।

(i) इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय के संबंधित विषय के पत्रोपधि पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा सकेंगे।

(ii) संबद्ध विषय/संकाय के अध्ययन मंडल के सिफारिश पर जो भी पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए जाने हैं, ऐसे सभी पाठ्यक्रम इस अध्यादेश के अनुसार संचालित किए जा सकेंगे। जिनके लिए पृथक से अध्यादेश की आवश्यकता नहीं होगी। यह अध्यादेश विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभागों,संस्थान एवं अध्ययन केंद्र के लिए लागू होगा।

2. **कालावधि** : ये सभी पाठ्यक्रम वार्षिक प्रणाली पर संचालित किए जायेंगे और इसकी कालावधि एक शैक्षणिक वर्ष होगी।

3. **पाठ्यक्रम शुल्क** : इन पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए जो शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किया जायेगा, वह लागू होगा।

4. **पात्रता** : सामान्यतः सभी पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों की प्रवेश-पात्रता के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल/बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा (12वीं) उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यदि संबंधित विषय के अध्ययन मंडल द्वारा कोई विशिष्ट अर्हता निर्धारित की जावेगी तो वह लागू होगी।

5. **प्रवेश-प्रक्रिया** : सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश-प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के ही अनुसार होगी –

(i) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व विश्वविद्यालय के वेबस्थल, सूचना पटल, समाचार-पत्र एवं अन्य संचार-माध्यमों के माध्यम से प्रवेश-अधिसूचना जारी की जायेगी।

(ii) योग्यता के आधार पर अनंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के सूचना पटल/वेबस्थल पर प्रदर्शित की जायेगी अथवा आवेदन

के अंतिम दिन के पश्चात् प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को उनके प्रवेश की जानकारी सूचित की जायेगी।

(iii) जिन अभ्यर्थियों की उत्तीर्ण परीक्षाओं के परिणाम अप्राप्त हैं, ऐसे अभ्यर्थी भी अस्थाई प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि ऐसे अभ्यार्थियों को विगत वर्ष की अंक-सूची और विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का प्रमाणपत्र, नियत दिनांक से पूर्व आवश्यक पात्रता मापदंड के प्रमाण के रूप में विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी, बशर्ते यह अस्थाई प्रवेश नहीं दिया जा सकता। अभ्यर्थी को प्रवेश की नियत दिनांक से 01 माह के भीतर अर्हता प्राप्त परीक्षा की अंक-सूची जमा करनी होगी, जिसमें असफल होने पर अस्थाई प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

(iv) यदि उपर्युक्त (iii) बिंदु के अंतर्गत अभ्यर्थी अस्थाई प्रवेश लेता है तो प्रवेश की आवश्यकताओं और पात्रता के मापदंड को पूर्ण करने के लिए वह पर्याप्त अंक प्राप्त नहीं कर सका, तो उसे प्रदान किया गया अस्थाई प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

(v) आवेदन पत्र निम्नांकित कारणों में से किसी भी एक कारण से निरस्त किया जा सकता है-

- ➢ यदि अभ्यर्थी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण नहीं करता हो।
- ➢ यदि निर्धारित शुल्क की रसीद संलग्न नहीं की गई हो।
- ➢ यदि जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ उसके माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं हो।
- ➢ यदि प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज़ संलग्न न हो।

(vi) सभी आवश्यक दस्तावेज़/शुल्क के प्रस्तुत तथा सत्यापन करने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को पंजीयन/नामांकन क्रमांक दिया जायेगा।

(vii) सभी पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के नियमों की संरचना लागू की जायेगी।

6. पाठ्यचर्या-संरचनाः

6.1 वार्षिक प्रणाली पर आधारित पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के लिए-

(i) विश्वविद्यालय के संबंधित विषयों के अध्ययन मंडलों के द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं प्रश्नपत्र लागू होंगे।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यचर्या की संरचना में जैसे इंटर्नशिप, प्रयोगशाला कार्य, प्रायोगिक, सयंत्र- प्रशिक्षण, परियोजना आदि से संबंधित विषय के अध्ययन-मंडल द्वारा लागू होगा।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं की पद्धति प्रभावशील होगी।

6.2 प्रत्येक पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या उद्योगों की माँग पर आधारित होगी तथा विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडल व अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएगी। विषय से संबद्ध अध्ययन मंडल की सिफारिश पर विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद द्वारा प्रश्नपत्रों की संख्या/पाठ्यक्रमों के अंकों की पद्धति में माननीय कुलपति के अनुमोदन होने के पश्चात् परिवर्तन किया जा सकता है।

7. **निर्देश व परीक्षा का माध्यम :** निर्देश व परीक्षा का माध्यम केवल ''हिंदी'' रहेगा।

8. **परीक्षा पद्धति :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पद्धति से परीक्षाएँ आयोजित की जायेंगी--

8.1 अभ्यर्थी को एक बार में एक ही वार्षिक परीक्षा देने की अनुमति दी जायेगी।

(i) कम-से-कम सैद्धांतिक व प्रायोगिक में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ii) निश्चित किए गए सभी शुल्क देय का भुगतान करना आवश्यक होगा।

(iii) संबद्ध विभागों से 'अदेय प्रमाणपत्र'(नो ड्यूज) प्राप्त करना होगा।

(iv) निदेशक/प्रमुख/प्राचार्य/अध्ययन केंद्र द्वारा अधिकृत परियोजना रिपोर्ट, इंटर्नशिप प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

8.2 प्रत्येक विद्यार्थी को सैद्धांतिक व प्रायोगिक और सतत् मूल्यांकन परीक्षा (सीसीई) ; दोनों परीक्षाओं में उपस्थित रहना आवश्यक होगा। अध्ययन मंडल द्वारा अंक तय किए जायेंगे। सतत् आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित पद्धति से आयोजित की जायेगी।

(i) अभ्यर्थी को परीक्षा के पश्चात् श्रेणी घोषित की जायेगी। अध्ययन मंडल द्वारा समस्त संबंधित विषयों के सैद्धांतिक व प्रायोगिक और सतत् आंतरिक मूल्यांकन (सीसीई) के अंकों का पूर्णांक व न्यूनतम उत्तीर्णांक का निर्धारण किया जायेगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक सामान्यतः पाठ्यक्रम में उल्लेखित होगा, वह मान्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अध्ययन मंडल द्वारा दिए गए अंक मान्य होंगे।

(ii) न्यूनतम उत्तीर्णांक, जो संबंधित विषय के अध्ययन मंडल द्वारा प्रावधानित किए गए हैं उसके अनुसार न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना होगा।

9. परीक्षा में सफल परीक्षार्थीयों को विश्वविद्यालय द्वारा पत्रोपाधि प्रदान की जायेगी।

10. **श्रेणी का आवंटन :**

सतत् आंतरिक मूल्यांकन (सीसीई) और विश्वविद्यालय की सैद्धांतिक व प्रायोगिक, दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षा की श्रेणी घोषित की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 07 के प्रावधान के अनुसार होगी।

11. **पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि :** एक अभ्यर्थी को पत्रोपाधि पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए प्रथम प्रवेश के सत्र से अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी।

12. **परीक्षा केंद्र :** विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केंद्रों को अधिसूचित किया जायेगा। इस अध्यादेश के अंतर्गत संचालित होने वाले सैद्धांतिक व प्रायोगिक विषय के पाठ्यक्रमों का निर्धारण परीक्षा केंद्र भेजेगा तथा संबंधित विषयों के अध्ययन-मंडल द्वारा समय-समय पर जो परीक्षा-पद्धति निर्धारित की जायेगी, वह लागू होगी।

13. यदि इस अध्यादेश में यदि कोई प्रावधान छूट गया है तो विश्वविद्यालय के मूल अध्यादेश में जो प्रावधान निहित होंगे वह इस अध्यादेश के अंतर्गत संचालित समस्त पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों पर भी लागू होंगे।

14. यदि इस अध्यादेश में कथित चाहे कुछ भी हो, कोई भी अप्रत्याशित मुद्दा निर्माण हुआ हो, इस अध्यादेश में जिसका समावेश नहीं किया हो अथवा किसी भी प्रसंग की व्याख्या में मतभेद निर्माण हुआ हो; ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

15. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण मध्यप्रदेश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगा।
